न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 126/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/164

1. किशोर
2. शारदा
3. कान्ता
4. दिलीप
5. जीतू
6. कैलाश

पिसरान बक्का देवी पत्नि स्व. श्री रूपाराम जाति नायक निवासीगण नायकों का मौहल्ला गोगागेट, बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. धूड़ाराम पुत्र ऊदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. केसर पत्नि गोपालाराम कथित पुत्री स्व. श्री ऊदाराम जाति मेघवाल निवासी गैरसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री ओमप्रकाश चांडक अभिभाषक अपीलांट्स
अनुपस्थितः श्री सुरेश गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 06.10.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1– विवादित कृषि भूमि ग्राम करमीसर के खसरा नंबर 49/42/5 तादादी 14 बीघा, (उपनिवेशन ख.नं. 151 तादादी 8 बीघा 18 विस्वा) भूमि खातेदार धूड़ाराम द्वारा अपीलांट्स की माता श्रीमति बक्का देवी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2005 विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 229 बक्का देवी के नाम दिनांक 22.10.05 को स्वीकृत होकर दर्ज हो गया। धूड़ाराम के द्वारा उपरोक्त विक्रय की जा चुकी भूमि में हस्तक्षेप करने पर अपीलांट की माता ने चिरनिषेधाज्ञा हेतु सहायक कलक्टर बीकानेर में राजस्व वाद संख्या 169/2010 अनवान बक्का देवी बनाम धूड़ाराम दावा पेश किया। उक्त दावे को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री दिनांक 04.04.2013 को जारी की गई। तत्पश्चात् रेस्पों. सं. 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर विरासतन इंतकाल संख्या 106 को खारिज करवा दिया, जिससे इंतकाल संख्या 229 निष्प्रभावी हो गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 06.10.2008 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलांट अपील में प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को उचित मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री ओमप्रकाश चाण्डक ने अपनी बहस में कथन किया है कि आदेश जैर अपील द्वारा इंतकाल संख्या 106 ग्राम करमीसर निरस्त किया गया हैं जो रेस्पोडेन्ट संख्या धूड़ाराम के नाम बतौर खातेदार दर्ज था। धूड़ाराम ने उक्त इंतकाल से संबंधित भूमि का बेचान अपीलांट्स की माता बक्का देवी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 17.08.2005 कर दिया तथा बक्का देवी के नाम इंतकाल संख्या 229 दर्ज हो गया। रेस्पो. सं. 1 ने रेस्पो. सं.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2 से दुरभिसंधि कर अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को बिना पक्षकार बनाये विरासतन इंतकाल संख्या 106 को निरस्त करने के आदेश प्राप्त कर लिये। आदेश जैर अपील बिना रेकार्डेड टीनेन्ट को पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध जाकर एकपक्षीय पारित हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय में इंतकाल संख्या 106 के विरूद्ध एल आर एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत पेश हुआ है, जबकि धारा 75 के तहत केवल ऑरिजिनल ऑर्डर के विरूद्ध ही अपील हो सकती है। इंतकाल संख्या 106 ऑरिजिनल ऑर्डर नहीं होकर खातेदारी सनद की पालना में राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन मात्र है। ऑरिजिनल ऑर्डर खातेदारी आदेश आज भी यथावत कायम है।, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय को चुनौती नहीं दी गई है। बिना खातेदारी आदेश के विरूद्ध चाराजोही के पालना कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर इंतकाल संख्या 229 के मुताबिक हुए राजस्व इन्द्रजात पुनः बहाल कियें जावे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित RRD/AIR प्रस्तुत है।

Sr. No.	RRD/AIR	Page No.
1.	RRD 1981	320(c) Para 7
2.	AIR 2003 SC	3397 Para 39,40
3.	RRD 1974 NUC	29
4.	AIR 1997 SC	567
5.	DNJ 2018(3 Raj.)	930
6.	AIR 1998 SC	2276 Head Note c
7.	RLW RJ 2009 II	848 b
8.	RRD 1987	106
9.	RBJ 2013	253
10.	AIR 1974 SC	994 Para 84
11.	AIR 2004 Mad.	498 A
12.	AIR 2023 CC	920 Orisa
13.	AIR 1987 SC	1353

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री सुरेश गोस्वामी एवं रेस्पोडेन्ट्स को दौराने बहस आवाज लगाई गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेंट को बार—बार आवाज लगाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की अनुपस्थिति अपील में बहस करने में अरूचि जाहिर करती है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर में प्रभावित पक्षकार अपीलांट्स को अपील में बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2008 निरस्त किया जाता है। साथ ही जैर अपील आधारित एवं तत्पश्चात् हुए राजस्व इन्द्रजात हटाये जाकर इंतकाल संख्या 229 को पुनः बहाल किया जाता हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर